



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 302 राँची, शुक्रवार, 3 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
24 मई, 2024 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

संकल्प

5 मार्च, 2024

सं०सं-04 म०म०स०(ज्ञा०भ०स्था०)-04/2023 - 425--

विषय:- नये झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के कार्यालय हेतु पदों के सृजन के संबंध में।

नये झारखण्ड भवन, गुरुद्वारा बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली-110001 का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होने जा रहा है। निकट भविष्य में उक्त भवन में मूलभूत अवस्थापना के कार्य के उपरान्त कार्यबल का नियोजन किया जाना है। सात मंजिल तक विस्तारित नये झारखण्ड भवन में महानुभावों के आवासन के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाओं का संचालन भी किया जाना है। इसके अतिरिक्त पूर्व में निर्मित भवन जो वसंत विहार, नई दिल्ली में अवस्थित है, भी क्रियाशील रहेगा। उपरोक्त के क्रम में वर्तमान एवं नये भवन के सुचारू रूप से संचालन/दिख-रेख हेतु अतिरिक्त मानव बल (पदाधिकाारियों/कर्मचारियों) की आवश्यकता होगी।

2- उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड भवन, नई दिल्ली कार्यालय हेतु पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त निम्नांकित पदों का सृजन दिये गये शर्तों के अधीन किया जाता है:-

क्र-सं	पदनाम	प्रस्तावित पद
1	प्रशाखा पदाधिकारी (झा०स०से०)	01
2	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (झा०स०से०)	02
3	कनीय सचिवालय सहायक (सचिवालय लिपिकीय सेवा)	03
4	वाहन चालक (वाह्य स्रोत)	05
5	आदेशपाल/MTS(वाह्य स्रोत)	03
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-टंकक (वाह्य स्रोत)	03
7	प्रबंधक (आतिथ्य सत्कार-सह-कैंटीन)	02
8	स्वागतक-सह-प्रबंधक	02
9	प्रोटोकॉल सहायक	03
	कुल	24

(II) सृजित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं० 660/वि०, दिनांक 28-02-2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे एवं 7वाँ वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प संख्या-217/वि०, दिनांक 18-01-2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।

(III) कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-टंकक, वाहन चालक एवं आदेशपाल/MTS-के पदों पर सेवा वाह्य स्रोत से प्राप्त किया जायेगा तथा न्यूनतम मासिक मानदेय श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर गणना की गयी मासिक मानदेय से कम नहीं होगा।

(iv) वाह्य स्रोत (Out Source) के पद स्वीकृत नहीं समझे जायेंगे, अपितु वाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम कर्मियों की संख्या समझी जायेगी।

(v) बाह्य स्रोत के माध्यम से सेवा प्राप्त किये जाने वाले पदों की परिनियोजन प्रक्रिया का क्रियान्वयन प्रशासी विभाग द्वारा रांची से किया जायेगा।

3- उपर्युक्त सृजित पदों के वेतनादि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4- उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 23-02-2024 को हुई बैठक में मद संख्या 09 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

5- इसे तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।
